(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 56/2024–25
नई दिल्ली, दिनांकः 4 फरवरी, 2025

विषयः डी–ऑयल्ड राइस ब्रान की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2024, की पहले की अधिसूचना सं. 23/2024–25 के संशोधन में अनुसूची–II (निर्यात नीति) आईटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय 23 के तहत निर्यात नीतिगत शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन करती हैः

आईटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
2302–ब्रान,शार्प और अन्य अवशिष्ट, चाहे टिकिया के रुप में हो अथवा नहीं, अनाज अथवा फलीदार पौधों के स्थानांतरण, पीसने अथवा अन्य कार्य से प्राप्त		
2302 40 00 – अन्य अनाज के	मुक्त	डी–ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 30 सितम्बर, 2025 तक 'निषिद्ध' है।
2306 खली और अन्य ठोस अवशिष्ट चाहे पीसी हुई हो अथवा टिकिया के रुप में हो, वनस्पति अथवा माइक्रोबियल वसा अथवा तेलों के निष्कर्षण से प्राप्त, शीर्षक 2304 अथवा 2305 की वस्तुओं के अलावा		
2306 90 19 – अन्य – –– खली और खली खाद्य, निष्कासन किस्मः ––––– अन्य बीजों के	मुक्त	डी–ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 30 सितम्बर, 2025 तक 'निषिद्ध' है।
2306 90 29 – अन्य ––– खली और खली खाद्य, विलायक द्रव से निकाली हुई (वसा रहित) किस्मः ––––– अन्य बीजों के	मुक्त	डी–ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 30 सितम्बर, 2025 तक 'निषिद्ध' है।
2306 90 90 – अन्य – ––अन्य	मुक्त	डी–ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 30 सितम्बर, 2025 तक 'निषिद्ध' है।

अधिसूचना का प्रभावः डी–आयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 30 सितम्बर, 2025 तक 'निषिद्ध' है।

संतोष कुमार सारंगी
4.2.2025
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. एम–01/91/191/030/एएम–21/ईसी/ई–36363 से जारी)